



Neutral Citation No. - 2026:AHC:50939

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 8243 वर्ष 2026

श्रीमती केतकी एवं एक अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 41 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता

: अजय कुमार सिंह, रतन सिंह

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: अचल सिंह, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. कुछ बहस के उपरांत, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी प्रार्थना को इस सीमा तक सीमित कर दिया कि प्रत्यर्थी प्राधिकारी अर्थात उप जिलाधिकारी, तहसील राजापुर, जनपद चित्रकूट को यह निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्तागण द्वारा दिनांक 18.01.2026 को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, जिसकी प्रति इस रिट याचिका के परिशिष्ट संख्या-3 के रूप में संलग्न है तथा जो वाद संख्या टी202607190400124 में प्रस्तुत है, का निर्णय यथाशीघ्र करें।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि संबंधित प्राधिकारी उक्त प्रार्थना-पत्र का निर्णय यथाशीघ्र करेंगे।

3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि उप जिलाधिकारी, तहसील राजापुर, जनपद चित्रकूट वाद संख्या टी202607190400124 में दिनांक 18.01.2026 को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का निर्णय विधि के अनुसार, यथाशीघ्र एवं अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर करें, किन्तु ऐसा निर्णय पारित करने से पूर्व संबंधित सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रदान किया जाए तथा अनावश्यक स्थगन प्रदान न किया जाए, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

दिनांक : 12 मार्च, 2026

साकलैन

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।